# प्रारुप–5

परियोजना का नामः– जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत आमणी से गड़ाकोट तक मोटर मार्ग का निर्माण। लम्बाई 8.00 किमी0

## परियोजना की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति का प्रमाण–पत्र

प्रस्तावित परियोजना हेतु निर्गत शासकीय वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति की छायाप्रति प्रमाणित कर संलग्न है।

सहायक अभियन्ता
लो0 नि0 वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

ह0/ 22/07/16
प्रयोक्ता एजेन्सी
Executive Engineer
T.D. P.W.D. Srinagar
H.Q. Kirtinagar

8

संख्या 549 / XIII.2 / 14-49(प्रा0आ0) / 2013

प्रेषक,

अरविन्द सिंह न्याकी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 29 जनवरी, 2014

विषय:– वित्तीय वर्ष 2013–14 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न 32 कार्यो की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता ग0क्षे0 / कु0क्षे0, लो0नि0वि0, पौड़ी / अल्मोड़ा द्वारा संलग्न विवरणानुसार प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये विभिन्न 32 कार्यो के प्रारम्भिक आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 149.30 किमी0 + 05 सेतु तथा लागत ₹ 1264.32 लाख है, पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ 1264.32 लाख (₹ बारह करोड़ चौसठ लाख बत्तीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में संलग्नक के कॉलम सं0–5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात कुल 32 कार्य हेतु ₹ 3.20 लाख (₹ तीन लाख बीस हजार मात्र) की धनराशि, व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i)– उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0–1764 / III(2) / 10–17(सामान्य) / 2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)– आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरो को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टयो के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद मे किया जाय, एक मद का दूसरी मद मे व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)– स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स–2008 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशो का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 – 2047 / XIV–219(2006), दिनांक 30–05–2008 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के [illegible] आवश्यक व्यय अनुदान सं0–22–लेखाशीर्षक–3054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 [illegible] सड़क– आयोजनागत–800–अन्य व्यय–05–सड़क / भवन / सेतु [illegible] कार्य से विभागीय आय–व्यय के प्रावधानित निवर्तन पर स्वयं [illegible]

[illegible]
मु0 अ0 लो0 नि0 वि0
मु0 कोषाधिकारी

(ix) स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)- वर्तमान मे व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2014 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत भद मे निवर्तन मे रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यो में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(xii) प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाईन/मानक, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तदनुसार कार्यवाही की जाय।

(2) इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22-लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सडके -आयोजनागत -800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-- 730/XXVII/(2)/2013 दि0: 28 जनवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः- यथोपरि।

भवदीय,

( अरविन्द सिंह ह्यांकी )
अपर सचिव

संख्याः- 549 (1)/ III(2)/14-49(प्रा0आ0)/2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढवाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
4. मुख्य अभियन्ता, गढवाल/कुमायूँ क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी/अल्मोड़ा।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

( महिमा )
अनु सचिव

अ0 ख0 लो0 नि0 वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

Photo Copy Attested
Assistant Engineer
Temporary Division
सहायक अभियन्ता
अ0 ख0 लो0 नि0 वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

शासनादेश संख्या - 549 / XIII(1)/14-49(प्रा0आ0) 2013 दिनांक 29 जनवरी, 2014 का संलग्नक

(धनराशि लाख रु में)

| क्र0 सं0 | कार्य का नाम | लम्बाई किमी0 में | टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित लागत | चालू वित्तीय वर्ष में व्यय हेतु अवमुक्त धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट के अन्तर्गत लोहाघाट बाज़ार से फोर्ती तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य सेतु सहित। | 3.00 +02 brg | 20.07 | 0.10 |
| 2 | जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र ज्वालापुर में ग्राम अहमदपुर ग्रन्ट में नकली सैनी की चर्खी से सरदारों के डेरे तक मार्ग का नव निर्माण कार्य। | 2.50 | 4.75 | 0.10 |
| 3 | जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र ज्वालापुर में ग्राम अलीपुर से शनीदेव मन्दिर तक मार्ग का नव निर्माण। | 3.00 | 5.70 | 0.10 |
| 4 | जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र ज्वालापुर मे ग्राम अलीपुर में शमशान घाट तक मार्ग का नव निर्माण कार्य। | 1.00 | 1.90 | 0.10 |
| 5 | जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र ज्वालापुर में ग्राम अतमलपुर बोंगला में शनीदेव मन्दिर से हाइवे दिल्ली मार्ग से मुख्य गोहर तक मार्ग का नवनिर्माण कार्य। | 3.00 | 5.70 | 0.10 |
| 6 | जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत चौण्डी से भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। | 6.00 | 43.80 [35.10 + 8.70 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य] | 0.10 |
| 7 | जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत आमणी से गड़ाकोट तक मोटर मार्ग का निर्माण का कार्य। | 8.00 | 67.44 [46.80 + 20.64 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य] | 0.10 |
| 8 | जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत विकास खण्ड कीर्तिनगर में कोठार लिंक हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं डामरीकरण का कार्य। | 4.300 | 5.66 | 0.10 |
| 9 | जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत हिण्डोलाखाल पयालागांव मोटर मार्ग का ग्राम बिदुला, नौथा, देवली एवं दलमासा होते हुए हिण्डोलाखाल मुल्यागांव मोटर मार्ग का विस्तार। | 5.00 | 36.55 [29.25 + 7.30 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य] | 0.10 |
| 10 | जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत चपोली से टकोली–चमोगी होते हुए नैखण्डी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। | 4.00 | 30.20 [23.40 + 6.80 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य] | 0.10 |
| 11 | जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत धौलंगी–मच्छियारी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। | 2.00 | 15.56 [11.70 + 3.86 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य] | 0.10 |
| 12 | जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकास खण्ड देवप्रयाग के अन्तर्गत डडुवा से किरोला होते हुए मयाली पाटाखाल तक मोटर मार्ग का पुल सहित नव निर्माण का कार्य। | 7.00 | 55.36 [41.85 + 13.51 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य] | 0.10 |

प्रतिलिपि प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
प्र0 ख0, लो0 नि0 वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

# प्रारुप–6

## प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट का प्रारूप

**परियोजना का नामः–** जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत आमणी से गड़ाकोट तक मोटर मार्ग का निर्माण। लम्बाई 8.00 किमी0

आज **दिनाँक 10.10.2015** को **वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग** के द्वारा **कि0मी0** 1 से **कि0मी0 8** तक बनाये जाने वाले मार्ग/प्रस्तावित परियोजना को बनाये जाने हेतु स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से **श्री तुलसीदास वन दरोगा, श्री राकेश सिंह चौहान वन आरक्षी** सम्बन्धित राजस्व विभाग की ओर से **राजस्व उपनिरीक्षक** प्रस्तावक विभाग की ओर से **श्री कमलेश चन्द्र कनिष्ठ अभियन्ता** एवं **श्री शिवचरण सिंह मेट** अन्य दावेदारों की ओर से **प्रधान** तथा स्थानीय प्रतिनिधि के रुप में **क्षेत्र पंचायत** सदस्य के द्वारा प्रश्नगत परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थल/समरेखन के चयन तथा अन्य वैकल्पिक स्थलों/समरेखनो के चयन हेतु भाग लिया गया।

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्यता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृष्टि से जो समरेखन/स्थल सर्वथा उपयुक्त पाया गया है उसमें **6190.00** (मी0) नाप भूमि, **1060.00 (मी0)** सिविल भूमि, **शून्य (मी0)** वन पंचायत, **750.00 (मी0)** आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल **5.571 हे0** नाप भूमि, **0.954** हे0 सिविल भूमि, **शून्य** हे0 वन पंचायत भूमि, **0.675** हे0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी, जिनमें से कुल **1.629 हे0** वन भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखन पर चुने गये स्थल पर लगभग **56 वृक्ष** विभिन्न प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, जिनमें से **शून्य बांज** प्रजाति के प्रभावित होगा । **वृक्षों की सूची मूल्यांकन सहित प्रस्ताव पर संलग्न है।**

इस समरेखण की तुलना में जो वैकल्पिक समरेखण देखे गये उसमें **6.400 (मी0)** नाप भूमि से, 0.775 (मी0) सिविल भूमि से, **शून्य (मी0)** वन पंचायत से, **1.125 (मी0)** आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल **5.760 हे0** नाप भूमि, **0.6975 हे0** सिविल भूमि, **शून्य हे0** वन पंचायत भूमि, 1.0125 हे0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी, जिनमें से कुल **1.710 हे0** वन भूमि के हस्तान्तरण की आवयकता होगी । इस समरेखन पर/चुने गये स्थल पर लगभग **60** वृक्ष विभिन्न प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, जिनमें से **शून्य** बांज प्रजाति के प्रभावित होंगे। यह वैकल्पिक संरेखण सिविल वन भूमि सहित पूर्व से मोटर मार्ग से लाभान्वित ग्राम आमणी की भूमि से होकर गुजरने पर ग्रामीणों द्वारा भूमि न दिये जाने व संरेखण पर आपत्ति करने के साथ सहमति नहीं दी गयी है जिसके कारण इस विकल्प को अमान्य किया गया है।

अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण आरक्षित वन **देवप्रयाग कक्ष सं0 1** कुलनभेल ब्लाक कक्षों से गुजरेगा/में स्थित है। इन कक्षों की वर्तमान वन आच्छादन है एवं इन कक्षों में प्रजाति के वन हैं। प्रभावित होने वाली नाप भूमि **5.571 हे0** पर विभिन्न प्रजाति के वन हैं एवं प्रभावित होने वाली सिविल तथा नाप भूमि पर चीड प्रजाति के वन हैं जिनका वर्तमान वन आच्छादन **5%** है।

चुने गये समरेखन का प्रारम्भ होने के स्थल का **GPS** मान **30°11'55.17"N, 78°36'25.57"E** है तथा यह स्थल टिहरी हिण्डोलाखाल देवप्रयाग **मोटर मार्ग के कि0मी0 54.00 है0मी0(4–6 )** से प्रारम्भ होता है तथा समरेखण का अन्तिम स्थल गड़ाकोट है, जिसका **GPS** मान **30°12'56.19"N, 78°36'51.40"E** है। चुने गये समरेखण /स्थल के बीच के स्थलों के **GPS** मान **संलग्न** है। चयनित समरेखन में कुल 56 पौधों को अन्य स्थानान्तरित (translocate) किया जाना आवश्यक होगा।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारहण्य का हिस्सा नही है। चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही होगा।

इस समरेखण पर प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण हेतु 06 नं0 स्थल उपयुक्त पाये गये हैं जिनका **GPS** मान निम्न हैं।

अन्य आवश्यक विवरण

| | |
|---|---|
| (1) 30°11'56.61"N, | 78°36'12.41"E |
| (2) 30°11'58.73"N, | 78°36'11.39"E |
| (3) 30°12'35.84"N, | 78°35'58.41"E |
| (4) 30°12'37.90"N, | 78°35'56.05"E |
| (5) 30°12'46.41"N, | 78°36'14.54"E |
| (6) 30°12'52.68"N, | 78°36'8.66"E |

(प्रयोक्ता एजेन्सी) प्रतिनिधि

वन क्षेत्राधिकारी (वन विभाग) प्रतिनिधि
वन क्षेत्राधिकारी नागनाथ रेंज, नागचौरा

(राजस्व विभाग) प्रतिनिधि

(अन्य दावेदार) प्रतिनिधि

(जन प्रतिनिधि) प्रतिनिधि

तहसीलदार
तहसीलदार देवप्रयाग टि0ग0

वन क्षेत्राधिकारी
टिहरी राजि

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
कीर्तिनगर
Executive Engin
T.D. P.W.D. Srina
H.Q. Kirtinaga

उप प्रभागीय वनाधिकारी
(देवप्रयाग)
नगेन्द्र वन प्रभाग

22/08/16
उप जिलाधिकारी
कीर्तिनगर, टि० ग०

प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग